लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 04/07/18

क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 136

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 25.06.2018 का कार्यवाही विवरण बावत्।

विषयान्तर्गत दिनांक 25.06.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 04/07/18

पृष्ठा0क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 137
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 25.6.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेस का कार्यवाही विवरणः–

दिनांक 25.6.2018 को 4.00 बजे मंत्रालय, वल्लभ भवन स्थित कक्ष क्रमांक – 66 से वीडियो कान्फेंसिंग का आयोजन आयुक्त, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ में आयोजित की गई।

कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिये गये :–

1 आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा बताया गया कि छात्रों के कैरियर काउसलिंग का प्रथम एवं द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के लिये कार्यक्रम रखा गया था। अब तृतीय चरण जिसके अंतर्गत 70 प्रतिशत से कम अंक वाले ऐसे छात्र जिन्हें एक विषय में पूरक पात्रता प्राप्त हुई है उन छात्रों के लिये केरियर काउसलिंग दिनांक 3.7.2018 को संपन्न होना है। इसके अंतर्गत पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की परीक्षा तिथि है जिसमें 12.00 बजे तक इनकी पूरक परीक्षा संपन्न होगी तथा 12.30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्बोधन किया जावेगा। इस हेतु सभी संयुक्त संचालकगण एवं जिला शिक्षा अधिकारीगण पूर्ण तैयारी कर लेवें। साथ ही बच्चों के लिये पर्याप्त व्यवस्था जिसमे पानी, नास्ता आदि तथा टी.वी./एल.ई.डी. आदि की व्यवस्था पर्याप्त हो ताकि छात्र सुगमता से यह कार्यक्रम देख व सुन सकें। भोपाल स्थित शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया जावेगा। सभी मैदानी अधिकारियों को उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु निर्देश दिये गये।

तकनीकी शिक्षा की काउसलिंग पर स्टॉल लगे होंगे जहाँ पर पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी जिसमें पूरक परीक्षा के केन्द्रों पर काउसलिंग की जायेगी। पिछले वर्ष कक्षा 10वीं की काउसलिंग की गई थी जिससे कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों को इससे लाभ प्राप्त हुआ था। आयुक्त, लोक शिक्षण ने बताया कि केरियर काउसलिंग की सूचना सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है। जिससे छात्रों को सूचना के अभाव में उपस्थिति कम रहती है। अतः इसका प्रचार–प्रसार करने के निर्देश मैदानी अधिकारियों को दिये गये।

2 आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप वितरण संबंधी जानकारी दी गई । इसके अंतर्गत लेपटॉप वितरण का प्रथम कार्यक्रम संपन्न हो चुका है जिसमें लगभग 22000 लेपटॉप वितरित किये जा चुके हैं। अब दूसरे चरण में लेपटॉप वितरण का कार्यक्रम किया जाना है। यह कार्यक्रम संभागीय स्तर पर किया जायेगा जिसकी तारीख माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शीघ्र ही देने की संभावना है। जिसके अंतर्गत 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी वर्गों के छात्रों को लेपटॉप वितरित किया जाना है। उक्त घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। अतः निर्देश दिये गये कि वेरीफिकेशन संबंधी कार्य दिनांक 28.6.2018 तक पूर्ण कर लिया जावें।

3 छात्रों को निःशुल्क सायकिल वितरण योजना की समीक्षा की गई। जिसके अंतर्गत समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि मंडला,राजगढ़, बड़वानी, शिवपुरी जिले में वेरीफिकेशन का कार्य अपूर्ण है। इंदौर 78 प्रतिशत, कार्य किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक, रीवा द्वारा बताया गया कि बच्चों के खाते नं. प्राप्त न होने से कार्य में विलंब हुआ है। समस्त मैदानी अधिकारियों को इस कार्य को दिनांक 28.6.2018 सायं तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये अध्यापकों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। उनका आवेदन ऑन लाईन बुलाये जाते है, लेकिन एम.एच.आर.डी. द्वारा अब अपनी साइड पर आवेदन मंगाये गये है। अतःएम.एच.आर.डी के साइड पर आवेदन करें जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 30.6.2018 है जिसमें 5 दिवस मात्र शेष है। आयुक्त, लोक शिक्षण ने निर्देश दिये कि

इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारीगण अपने जिले में प्रेस रिलीज कर सूचना जारी करेंगे। साथ ही श्री उपाध्याय, सहायक संचालक (वित्त) को निर्देशित किया गया कि वे राज्य स्तर पर प्रेस रिलीज करायेंगे।

4 संचालक, लोक शिक्षण द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि अभी हाल ही में अध्यापकों के ऑन लाईन स्थानांतरण हुए है। इनमें कुछ अध्यापकों के आवंटित शाला शहरी क्षेत्र में आ जाने के कारण उनके स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये जा सके है। अतः जिलों से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित रिक्त पदों की जानकारी अलग-अलग विषयवार दिनांक 4.6.2018 द्वारा पत्र जारी कर मंगाई गई थी। अधिकांश जिलों से यह जानकारी अपेक्षित है। अतः उक्त जानकारी दिनांक 26.6.2018 12.00 बजे तक संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत संचालक, लोक शिक्षण ने बताया कि रिक्त स्थान न होने के कारण इन प्रकरणों में एन.ओ.सी. शासन स्तर से कलेक्टरों को जारी की गई है। अधिकांश कलेक्टर्स द्वारा पद रिक्त न होने के कारण प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारियों को वापस कर दिया जाता है। जबकि इसमें ऐसा होना चाहिये कि पद रिक्त न होने की स्थिति में कलेक्टर्स कार्यालय की प्रतीक्षा सूची में प्रकरण प्रतीक्षा में दर्ज होना चाहिये। आयुक्त, लोकशिक्षण द्वारा निर्देश दिये गये कि कुछ प्रकरण बहुत ही पुराने समक्ष में प्रस्तुत किये गये है। अतः निर्देशित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जावें। यदि विलंब किसी स्तर पर किया जाता है। तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

अपर संचालक (आरएमएसए) द्वारा बताया गया कि कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है। कक्षा 8वीं के बच्चों के स्तर में सुधार हो ताकि उन्हें कक्षा 9वीं में पहुंचने हेतु ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है। कक्षा 8वीं के बच्चों का स्तर कक्षा 9वी के बराबर नहीं होता है। इसलिये इस कोर्स की आवश्यकता हुई। जिन स्कूलों में कार्यवाही हो चुकी है वे पोर्टल पर प्रविष्टि कर दें। ब्रिज मटेरियल का उल्लेख कर दिया गया है। अतः कृपया इस संबंध में कार्यवाही 31 जुलाई 2018 तक करने के निर्देश दिये गये। ब्रिज कोर्स का क्रियान्वयन अनिवार्य है। कई जिलों में यह कार्य हुआ है, कुछ जिलों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे अपने-अपने जिले में ब्रिज कोर्स के संबंध में कार्यवाही अनिवार्य रूप से करायेंगे।

41एक्सीलेंस स्कूलों में कन्या तथा बालक छात्रावास चलाये जाने है। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिये गये थे। राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जिले में छात्रावास हेतु स्थान प्राप्त नहीं होने की सूचना दी गई है। उन्हें निर्देश दिये गये कि वे शासकीय भवन ढूंढ लें जिसमें छात्रावास खोला जा सके। उक्त जानकारी गूगल ड्राइव शीट में शेयर करने के निर्देश दिये गये।

शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान के संबंध में शासन के द्वारा नीतिगत निर्णय लेकर आदेश जारी किये जा चुके है। किंतु कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों का पालन आज तक लंबित है। अतः निश्चित समयावधि में न्यायालयीन प्रकरणों का पालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही करें।

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा वसूली के न्यायालयीन प्रकरणों में अपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये गये है जिसके कारण प्रकरणों में पालन किये जाने में कठिनाई हो रही है। अतः भविष्य में ऐसे प्रकरणों में याचिका निर्णय की प्रति शासकीय अधिवक्ता का मत एवं प्रत्यावर्तन के साथ ही एकल नस्ती प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

5 समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत मिशन वन-क्लिक में त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के कारण असफल भुगतान वाले प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के संशोधन व सत्यापन किए जाने की

जिलेवार समीक्षा करते हुए अवगत कराया कि 7.71 लाख त्रुटिपूर्ण बैंक खातों में से अद्यतन केवल 1.91 लाख (25 प्रतिशत) विद्यार्थियों के खाते अपडेट किए गए है। जिलाः–देवास, शिवपुरी, सिंगरौली, इंदौर, भिण्ड, अशोकनगर, शाजापुर, मण्डला, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सीधी में अत्यंत कम प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 28 जून 2018 तक शतप्रतिशत बैंक खाते के संशोधन एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण किए जाने एवं समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को समयावधि में कार्य पूर्णता की मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित किया।

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति लंबित रहने के प्रकरण सी.एम.हेल्पलाइन उद्भुत हुए है। लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु वर्ष 2016–17 की स्वीकृति, वितरण एवं लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी दिनांक 08.05.18 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्टि किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अद्यतन केवल दतिया, अलीराजपुर, खण्डवा भोपाल रीवा, नीमच, धार, मुरैना से प्राप्त हुई एवं दमोह,गुना, सागर, विदिशा, की जानकारी त्रुटिपूर्ण है। समस्त जिले समग्र शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध वर्ष 2016–17 की जानकारी से परीक्षण कर सही विवरण दिनांक 28 जून 2018 तक प्रविष्ट करें।

डॉ.ए.पी.जे अब्दूल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किए जाने हेतु लिंक दिनांक 20.04.18 को प्रेषित की जाकर तत्काल जानकारी प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अभी भी जिलाः–आगरमालवा, अनूपपुर, भिण्ड,बुरहानपुर, छिंदवाडा, दमोह, जबलपुर, झाबुआ, मुरैना, शहडोल एवं सिंगरौली द्वारा प्रविष्टी नही की गई है एवं देवास, गुना, रतलाम, रायसेन द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रविष्ट की गई है। जानकारी दिनांक 28 जून 2018 तक प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

संचालनालय द्वारा बार–बार छात्रवृत्ति से संबंधित **एल–1 से एल–4 स्तर के** सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज **प्रत्येक प्रकरण (wip, pc) के निराकरण का परीक्षण संभाग स्तर/जिलास्तर से करने एवं प्रकरण का स्पष्ट निराकरण सी.एम.हेल्पलाइन पोर्टल पर प्रविष्ट कराने एवं जिन प्रकरणों में निराकरण दर्ज नहीं है उन प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर पोर्टल पर निराकरण की प्रविष्टि कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु अद्यतन भी छात्रवृत्ति से सबंधित** एल–4 से एल–1 तक लगभग 1900 प्रकरण जिसमें 840 प्रकरण एल–4 स्तर पर लंबित रहने पर आयुक्त महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं प्रकरणों का निराकरण दिनांक 05 जुलाई 2018 तक किए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण किए जाने एवं कार्यपूर्णता की मॉनिटरिंग समयावधि में किए जाने हेतु समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया।

अंत में आयुक्त, लोकशिक्षण द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों को यह हिदायत दी गई कि वीडियों कान्फ्रेसिंग में विभागीय निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन कर ही जबाव दिया जायें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश